राजस्व अपील संख्या 250 / 2023

अनवान
भंवरलाल वगैराह बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक 13.07.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी, जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक प्र0गां0के0सं0 / 2021 / 1202– 1203 दिनांक 07.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार, फलौदी को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच कर मौका नक्शा व मौका फर्द तैयार करे। उक्तानुसार मौका नक्शा, मौका रिपोर्ट व पक्षकारान की सुनवाई पश्चात उपखण्ड अधिकारी, फलौदी प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर